मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 888/652/चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 01/10/2010

प्रति,

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय – बजट कार्यक्रम 2011–12.

वित्तीय वर्ष 2011–12 से संबंधित आयोजना एवं आयोजनेतर बजट प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की तिथि दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 निर्धारित की गई है। इसके उपरान्त वित्त विभाग में विभागीय अधिकारियों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

अनुरोध है कि आयोजना बजट चर्चा के लिये आयोजना बजट प्रस्ताव के साथ ही संलग्न प्रपत्र में राज्य आयोजना अन्तर्गत बजट वर्ष 2010–11 में Budgeted Expenditure संबंधी जानकारी तथा वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के प्रतिबद्ध अधिप्राक्कलित व्यय (Projected Committed Expenditure) संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र में दिये गये निर्देशो के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उपरोक्त जानकारी में निम्न मदों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाये–

1. वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के नियत पुनर्भुगतान (Scheduled Repayment) एवं अन्य संस्थाओं हेतु नियत भुगतान (annuity आदि)जो संबंधित वित्तीय वर्ष में किये जाने हों।
2. पंचवर्षीय योजना एवं राज्य आयोजना अन्तर्गत अनुमोदित योजना से संबंधित ऐसे व्यय जिन्हें किया जाना अपरिहार्य हो।
3. आयोजना मद से होने वाले वेतन/भत्तों के भुगतान।

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्तानुसार Committed Expenditure संभावित आयोजना सीमा से अधिक न हो।

Committed Expenditure हेतु मुद्रा सॉफ्टवेयर में भी कुछ संशोधन किये गये हैं जिसकी Executive File वित्त विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इस हेतु मुद्रा सॉफ्टवेयर संबंधी दिशा निर्देश भी संलग्न है।

2. वेतन मद (आयोजनेतर/आयोजना अन्तर्गत) के लिये वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रस्तावों में सम्मिलित शीर्षवार नियमित मासिक वेतन तथा एरियर्स के भुगतान हेतु बजट प्रस्ताव की पृथक–पृथक जानकारी भी तैयार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट में वेतन मद अन्तर्गत विभागों को समुचित प्रावधान उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया उपरोक्त जानकारी बजट प्रस्तावों के साथ ही प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(अमित राठौर)
संचालक, बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 889/652/चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 01/10/2010

प्रतिलिपि –

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, भोपाल।
3. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग।(समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को सूचित भी करें)

की ओर सूचनार्थ।

(वीनेन्द्र कुमार)
अवर सचिव

मुद्रा सॉफ्टवेयर हेतु दिशा निर्देश

वित्त विभाग की वेब साईट से नई मुद्रा एप्लिकेशन फाईल Download कर मेन बजट फोल्डर में कॉपी करे। योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले कमिटेड व्यय के नये फारमेंट में प्रविष्टि करें। (यह प्रक्रिया केवल बजट नियंत्रक अधिकारी स्तर हेतु है)

www.mp.gov.in/finance

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1					
2					
And so on...					

Note:

1. 'Committed expenditure' refer to those expenditure heads/ items of a scheme where the department does not have any discretion in reducing the expenditure. An indicative Table 2 for select object heads is provided for illustration.

   *Schemes wherever the mandate is that **'all'** beneficiaries whoever meet stipulated/ pre-determined conditions will be serviced, entire expenditure will be treated as committed expenditure. Projections for these schemes will be made based on realistic assumptions for projecting target group of beneficiaries.*

2. Only State Plan Schemes are considered. Centrally Sponsored Schemes (CSS) and/or Externally Aided Projects (EAPs) are not included as the matching contribution of state in is committed and contingent upon fund flowing from GoI.
3. The projections for expenditure requirements of a state plan scheme is to be made for the number of years it will continue in future as stipulated in its guideline. In case, the number of years it is likely to be implemented in future cannot be known, it can be assumed to continue for the entire span of forecast period (three/ five years).
4. Object-level classification of expenditure is taken as the 'basis' for projection for each state plan scheme.
5. Growth rate of expenditure projection for committed expenditure items will be as per specified stipulations

   An illustration is provided in Table 2.

1 - Personnel Services and Benefits		
11 - Salaries and Allowances	*For permanent post*: Committed *For temporary post*: Limited commitment co terminus with the scheme	Committed: As per MTFP 2010-11 Non-committed: As per grade scales
12 – Wages (*MP uploaded Manual definition*: Will include wages of labours and of staff at present paid out of contingencies)	*For permanent post*: Committed *For temporary post*: Limited commitment co terminus with the scheme	
3 - Contractual Services and Supplies		**Subject to stipulations/ inflation based projection/ Past trend growth rate**
31 - Payment for Professional Services	Committed/ Non-committed	Depend on the scheme guidelines
4 - Grant, Others (Grants, etc)		
41 - Stipend and Scholarships	Committed	Based on projection of count of beneficiaries
42 - Grant-in aid	Committed for salary/ Non-committed for non-salary	Different for salary and non-salary components
6 - Acquisition of Capital Assets and Other Capital Expenditure	**Committed**	**As undertaken against some mandate**
61 - Survey, Investigation & Design and Preparation of DPRs		
63 - Machinery		
64 - Major Works		